

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 56/2020

दायर दिनांक 19.02.2020

वादी

प्रतिवादीगण

1. हाकम अली खां पुत्र नबू खां
उम्र 64 वर्ष जाति
कायमखानी निवासी बेरी खुर्द,
तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0।

बनाम

1. समदर खां पुत्र नबू खां
2. फेजू खां पुत्र नबू खां समस्त जाति
कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।
3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी

--: निर्णय :-

दिनांक 13.04.2022


वादी का खातेदारी सरहद बेरी खुर्द खेत खसरा नम्बर 144 रकबा 0.78 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमिट्स एण्ड वाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 06.01.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 111 दिनांक 01.02.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 111 दिनांक 01.02.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बेरी खुर्द के खेत खसरा नम्बर 144 रकबा 0.78 हैक्टे0 की भूमि का "बाईमिट्स एण्ड वाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 111 दिनांक 01.02.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 111 दिनांक 01.02.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास में

सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना



डिक्री व मुकदमे में इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जावा दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 56/2020

दायर दिनांक 19.02.2020

वादी
1. हाकम अली खां पुत्र नबू
खां उम्र 64 वर्ष जाति
कायमखानी निवासी बेरी
खुर्द, तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण
1. समदर खां पुत्र नबू खां
2. फेजू खां पुत्र नबू खां समस्त जाति
कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।
3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 13.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी की तरफ से मद्दायलह पेश होकर
हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बेरी खुर्द के खेत खसरा
नम्बर 144 रकबा 0.78 हैक्टे0 की भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा
कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव
जरिये पत्रांक: 111 दिनांक 01.02.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को
स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 111 दिनांक 01.02.2022 निर्णय एवं
डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा
करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.04.2022 को सरे
इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)